



(अंग्रेजी माध्यम) प्री प्राइमरी से जूनियर हाईस्कूल तक



प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिया।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सनवीम स्कूल अगरसण्डा
शिक्षा क्षेत्र-हनुमानगंज, बलिया।

पत्रांक : 1382/21590-93 /2018-19

दिनांक : 06-12-2018

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 की प्रायोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 के नियम-15 के उपनियम-(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-419/79-6-2013-18 एस (7)/89 दिनांक 8 मई 2013 के अनुपालन में आपके विद्यालय का कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक दिनांक 01.07.2015 से दिनांक 30.06.2018 तक इस कार्यालय के पत्रांक/13168-72/2014-15 दिनांक 25.05.2015 द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए औपबन्धिक मान्यता सम्प्रेषित किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी जाँच एवं संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा निर्गत राजाज्ञा सं०-419/79-6-2013-18 एस (7) 79 दिनांक 8 मई 2013 के प्रस्तर 15 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्वारा कक्षा प्री प्राइमरी नर्सरी से कक्षा 8 तक की औपबन्धिक मान्यता प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के भविष्य में विद्यमान रहने के अधीन होगी।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जानें के अध्वधीन है :-

55. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं हैं।
56. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और उ०प्र० निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
57. विद्यालय कक्षा -1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 (पच्चीस) प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पुरा हों जाने तक उपलब्ध करायेगा।
58. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
59. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी सिकनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
60. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा।
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशुल्कता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - अधिनियम की धारा-23 (1) के अधीन यथा अधिकथित मान्यता

- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेगा।
- 61. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
- 62. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:-
 - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल : 27458.14 वर्ग फुट
 - कुल निर्मित क्षेत्र : 10.000 वर्ग फुट
 - क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल : 17458.14 वर्ग फुट
 - कक्षाओं की संख्या : 25
 - प्राध्यापक सह कार्यालय 1 -
 - सहमण्डार के लिए कक्ष 1 - उपलब्ध है।
 - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-उपलब्ध है।
 - पेयजल उपलब्ध है।
 - मीठ-डे-मिल पकाने के लिए रसोई-उपलब्ध है।
 - बाघा रहित पहुँच-सुनिश्चित की गयी है।
 - अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता-उपलब्ध है।
- 63. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
- 64. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
- 65. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) में अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
- 66. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाम के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 67. लेखाओं की सम्परीक्षा (आडिट) और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
- 68. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक : 455/2018 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्र व्यवहार के लिए इस संख्यांक उल्लेख करें।
- 69. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो/और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने यो विद्यालय की कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
- 70. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायें।
- 71. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करेगा।
- 72. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

मण्डीय
518
(संतोष कुमार राय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बलिया

पृ0सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़।
- 02- जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया।
- 03- खण्ड शिक्षा अधिकारी शिक्षा क्षेत्र : हनुमानगंज, बलिया।

(संतोष कुमार राय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बलिया

